राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.1 (343)एमई/ग्रुप–1/17 जयपुर, दिनांक : - 1 OCT 2018

संशोधित आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(71)एमई/ग्रुप–1/88पार्ट दिनांक 25.09.2017 के द्वारा डॉ. मन्जू सैनी की नियुक्ति अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर सहायक आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग के पद पर वेतन श्रंखला पी.बी. 15,600–39100 (ग्रेड पे रू 6600/–) में नियमित रूप से पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत होने पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत प्रदान की गई थी।

डॉ. मन्जू सैनी पूर्व से नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत नहीं है। फलस्वरूप इनकी नियुक्ति पर इन्हें वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14(1)एफडी/रूल्स/13पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/– प्रतिमाह की दर पर देय होंगे।

अतः इस विभाग के आदेश क्रमांक 1(71)एमई/ग्रुप–1/88पार्ट दिनांक 25.09.2017 को डॉ. मन्जू सैनी के संबंध में तदनुसार संशोधित कर पढा जावे। आदेश दिनांक 25.09.2017 का शेष विवरण यथावत रहेगा।

आदेश से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(41)भर्ती/गोपनीय/ 2014–15/227 दिनांक 18.07.2017 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव